मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2017 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 26 जुलाई, 2017 (श्रावण 4, 1939)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7-12/2016/उन्तीस-1, दिनांक 17 मई, 2017 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले में खाद की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य, डिण्डौरी जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न होने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले में राजस्व अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने में लापरवाही होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले की बानसुजारा समूह जलप्रदाय योजना से पेयजल हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के -
(क) ग्राम हीरापुर ककरहा नाले पर पुलिया का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम इमलिया प्राथमिक शाला में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किये जाने,
(2) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य, शहडोल जिले की नगर पंचायत ब्यौहारी के न्यू बरौंधा शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(3) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम लहचोड़ा के द्वार नाले पर ऊँचे रपटे का निर्माण किये जाने,
(4) श्री गिरीश भंडारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -
(क) ग्राम इकलेरा के समीप स्थित नदी पर स्टाप डेम का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम मंगतपुर में स्टाप डेम का निर्माण किये जाने,
(5) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, भोपाल जिले के वार्ड क्रमांक 81 कोलार रोड पटेल नगर में नाली का निर्माण एवं कांक्रीट रोड निर्माण किये जाने,
(6) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -
(क) ग्राम सिकरौदा में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम बंधिया का पुरा से पहावली तक सड़क निर्माण किये जाने,
(7) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम महेवा में स्वीकृत 33/11 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन कार्य प्रारंभ किये जाने,
(8) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, सदस्य, गुना जिले के -
(क) ग्राम कलोरा एवं अन्य ग्रामों में मार्ग का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम गाजीपुर से जमस तक मार्ग एवं उस पर पुल-पुलियों का निर्माण किये जाने,
(9) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर, सदस्य, खण्डवा जिले के -
(क) पंधाना से रुस्तमपुर मार्ग का पुन: निर्माण / दुरुस्तीकरण कार्य कराये जाने,तथा
(ख) ग्राम कुसुम्बिया में आवना नदी पर ब्रिज का निर्माण किये जाने,
(10) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के -
(क) ग्राम बड़पुरा में भैसुआ नाले पर स्टाप डेम बनाये जाने,तथा
(ख) ग्राम चाचौड़ा स्थित तालाब का गहरीकरण,
(11) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के कोडिया जरगर के हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के भवन स्वीकृत किये जाने,
(12) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम देवरी एवं काशीखैरी में हाईस्कूलों के भवनों की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
(13) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले की नगर पालिका परिषद महिदपुर में सर्वसुविधायुक्त नवीन गार्डन बनाये जाने,
(14) श्री इंदर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम खमलाय के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कर हाईस्कूल किये जाने,

-2-

(15) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के -

(क) ग्राम अनंतपुरा से देवरीछतरगिर तक पहुंच मार्ग के निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,तथा

(ख) ग्राम गौरझामर को नगर पंचायत बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(16) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले के राजेन्द्रग्राम शासकीय माध्यमिक विद्यालय को कन्या हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(17) श्री लखन पटेल, सदस्य, दमोह जिले के पथरिया नगर पंचायत में रेल्वे स्टेशन से पुलिस थाना तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य किये जाने,

(18) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम बंधवाकोठार से देवरीहनगाव, भीर एवं अन्य ग्रामों को जोड़ने वाली खगास नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(19) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम लसडिया में पुलिया का निर्माण किये जाने,

(20) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के खलघाट में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की कक्षायें प्रारंभ किये जाने,

(21) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर जिले के ग्राम डोंगरगांवसोयत के शिवराम मंदिर को संस्कृति / पर्यटन विभाग से मुक्त कर पुन: समाजजनों के अधीन कर दिये जाने,

(22) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले के तेंदूखेड़ा में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने,

(23) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम महोनाजाट में मुख्य मार्ग तक पक्का पहुंच मार्ग बनाये जाने,

(24) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिला मुख्यालय पर निमाड़ विश्वविद्यालय बनाये जाने,

(25) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, सदस्य, सीहोर जिले के वार्ड क्रमांक 28 के बग्गीखाना क्षेत्र में रोड बनाये जाने,

(26) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिले के ग्राम हीरापुर से सोजना चक तक सड़क का निर्माण किये जाने,

(27) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम कोन्डरा नवेगांव मार्ग पर पुलिया का निर्माण किये जाने,

(28) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के महेत्याखेड़ी से पछाया मार्ग को प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत प्रारंभ किये जाने,

(29) श्री मथुरालाल, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम घटवास में सोनारिया खाल पर डेम/बैराज के निर्माण की स्वीकृति दिये जाने,

(30) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम आक्याकला ताल में आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत किये जाने,

(31) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम पिपलोदा तहसील के बानीखेड़ी एवं अन्य ग्रामों में नदी पर बैराज निर्माण किये जाने,

(32) डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव के गोरखपुर में महाविद्यालय खोले जाने,

(33) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम आमाखोह से सरसवाही तक सड़क का निर्माण किये जाने,

(34) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम बैरसिया के मजरे गोल्यापुरा को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,

(35) श्री अनिल जैन, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम सीतापुर एवं अन्य ग्रामों की माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(36) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम नरूवाखेड़ा में खेल मैदान का निर्माण किये जाने,

(37) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम सगोड़ी से जयंती नगर पड़ुवा तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(38) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम पलारी से कहानी तक सड़क निर्माण किये जाने,

(39) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम वंसिया एवं बंजारी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने,

(40) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम बम्हौरीकला से पडेला खिरिया तक सड़क बनाये जाने,

(41) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम किशनगढ़ से भारतपुरा तक मार्ग का निर्माण किये जाने,

(42) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम पीपलकोटा में प्री-मैट्रिक छात्रावास स्वीकृत किये जाने,

(43) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में विश्राम गृह का निर्माण किये जाने,

(44) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम पंचायत हरनावदा में सामुदायिक भवन बनाये जाने,

(45) श्री संजय उइके, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम गढ़ी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने,

(46) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के संत रविदास वार्ड में करीला स्थित लाल बिल्डिंग वाली गली में नाली का निर्माण किये जाने,

(47) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम चंदेरी में एक बड़े स्टाप डेम का निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 22 सन् 2017) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक,
30 मि. 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(3) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)
30 मि. संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 16 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(4) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक,
15 मि. 2017 (क्रमांक 17 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(5) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017)
30 मि. पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(6) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017
1 घण्टा (क्रमांक 21 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(7) श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017
1 घण्टा (क्रमांक 23 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 25 जुलाई, 2017